

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क09/नर्सिंग/सेल-2/2009/1167  
प्रति

भोपाल,दिनांक 26/11/2009

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
मध्य प्रदेश ।


2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
मध्य प्रदेश ।

विषय:-नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक की अधिवर्षिकी आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष  
करने बाबत ।

000000

विषयान्तर्गत जिले से आये हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल  
सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश के द्वारा नर्सिंग संवर्ग के लिये जारी शासन  
आदेश दिनांक 31.10.2009 के संबंध में (ए.एन.एम) एवं (एल.एच.व्ही) की स्थिती स्पष्ट  
करने हेतु पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

अतः अवगत कराया जाता है कि वे सभी नर्सिंग संवर्ग जिनका रजिस्ट्रार नर्सिंग  
महाकौशल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया गया है वे सभी केंडर पर उक्त शासन आदेश  
लागू होता है ।अधिकारी/कर्मचारी एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं एल.एच.व्ही पर भी  
उक्त शासन आदेश लागू होता है ।

  
(डॉ.श्रीमती अंजू मदीरिया)  
उप संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

क09/नर्सिंग/सेल-2/2009/  
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक /11/2009

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश की और सूचनार्थ ।
- 2 अधीक्षक समस्त सिविल अस्पताल मध्य प्रदेश की और सूचनार्थ ।
- 3 अधीक्षक समस्त क्षय चिकित्सालय मध्य प्रदेश की और सूचनार्थ ।

(डॉ.श्रीमती अंजू मदीरिया)  
उप संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 31/10/09

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 18-17/2009/17/मेडि-1 :: राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 65 वर्ष करने का मंत्रि-परिषद बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 में निर्णय लिया गया। यह आदेश जारी होने की दिनांक अर्थात् 31 अक्टूबर, 2009 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले नर्सिंग संवर्ग के शासकीय सेवकों को इस आदेश का पूर्ण लाभ मिलेगा।

2/ ऐसे नर्सिंग संवर्ग के शासकीय सेवक जो सेवावृद्धि/पुन-नियुक्ति/संविदा सेवा के मामलों में लागू नहीं होगा क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( मो. रफीक खान )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


क्रमांक ..... /2

पु.क्र. एफ. 18-17/2009/17/मेडि-1भोपाल दिनांक 31/10/09

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, 'मंत्रालय', भोपाल।
3. निज सचिव, गान्धीय मंत्री जी, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, 'मंत्रालय' भोपाल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, 'मंत्रालय', भोपाल।
5. समस्त प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन।
10. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, लोक स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/चिकि. सेवार्यें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, म.प्र.।
15. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्यअस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

कृी ओर सूचनायें एवं आग्रहक कार्रवाही हेतु अपेक्षित।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग